मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

www.esic.nic.in

संख्या : ई-13/12/09/2015-जन संपर्क

दिनांक : 17.07.2015

प्रेस प्रकाशनी

सभी निर्माण कामगारों को क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्त करना

क.रा.बी. निगम अब निर्माण स्थल के कामगारों को क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्त करने जा रहा है, जिससे उन्हें पूर्ण चिकित्सा देखरेख (प्राथमिक से तृतीयक चिकित्सा देखरेख) हितलाभ तथा रोजगार चोट, मृत्यु, अशक्तता, मातृत्व तथा बेरोजगारी आदि की अत्यावश्यकताओं के समय अनेक नकद हितलाभ उपलब्ध हो सकें। निर्माण कामगारों को असंगठित क्षेत्र का भाग माना जाता है परंतु इस तथ्य के आलोक में कि उनके साथ दुर्घटना तथा बीमारी आदि की अधिक संभावना रहती है, केंद्रीय सरकार ने उन्हें क.रा.बी. निगम की सामाजिक सुरक्षा से व्याप्त करने का निर्णय किया है।

निर्माण गतिविधि को वाणिज्यिक स्थापना के रूप में मानते हुए क.रा.बी. निगम की धारा 1(5) के अंतर्गत व्याप्त किया गया है। यदि निर्माण इकाई के किसी भाग में, कारखाना अधिनियम में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है तो क.रा.बी. निगम के अंतर्गत निर्माण इकाई की व्याप्ति को धारा 2(12) के अंतर्गत भी विस्तारित कर दिया जाएगा।

अब, क.रा.बी. निगम निर्माण कामगारों को व्याप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। यह भी ध्यातव्य है कि दिल्ली तथा कर्नाटक की राज्य सरकारों ने पहले ही क.रा.बी. निगम से निर्माण स्थल के कामगारों को भी व्याप्त करने के लिए अनुरोध किया था।

*****